उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 61/1232/एक-1-2016-5(31)/2012

लखनऊ: दिनॉक: 19 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

(शुद्धि-पत्र)

राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-603/एक-1-2012-5(31)/2012, दिनॉक 29;08.2012 द्वारा ग्राम सभा की कुल 54 गाटा रकबा 2.0712 हे0 भूमि रेलवे विभाग, भारत सरकार के निवर्तन पर रखते हुए इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु सशुल्क कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्ग्रहीत की गयी थी।

2. जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या-448/12-ए/भू0व्य0, दिनॉक 07.02.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित संरखेण के फलस्वरूप वर्तमान में परियोजना हेतु निम्नांकित भूमि की आवश्यकता नहीं रह गयी है। अतः 1.4522 हे0 निम्नांकित भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति को निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा सख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	देवबन्द	देवबन्द	गढ़मलपुर मजरा रणखण्डी	80	0.0192
2					84	0.0200
3				बिशनपुर मजरा गुनारसी	127	0.0016
4					128	0.0006
5				अकबरपुर मजरा गुनारसी	8	0.0016
6					7	0.0008
7					8	0.0048
8					31	0.0005
9					32	0.0002
10					72	0.0290
11				शहजादपुर	100	0.7250
12					105	0.0111

shasnadesh.up.nic.in

13					109	0.0832
14				अमरूपुर	169	0.0720
15					180	0.0936
16				नूरपुर बैरून हद्दूद	180	0.0050
17					188	0.0480
18					199	0.0040
19					202	0.0030
20					203	0.0006
21					207	0.0200
22					213	0.0007
23					214	0.0020
24					221	0.0016
25					222	0.0080
26					7	0.0868
27					5	0.0476
28					3	0.0040
29					231	0.0144
30					255	0.0150
31					371	0.0021
32					245	0.0016
33				देवबन्द	53	0.0101
34					54	0.0184
35					55	0.0427
36					62	0.0257
37					63	0.0100
38					64	0.0051
39					65	0.0085
40				मेघराजपुर	23	0.0020
41					35	0.0006

shasnadesh.up.nic.in

42					36	0.0015
				कुल योग	कुल 42 गाटा	1.4522 हे0

3. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-603/एक-1-2012-5(31)/2012, दिनॉक 29.08.2012 में जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित संशोधन जो प्रस्तर-2 में उल्लिखित है, के अनुसार उक्त अधिसूचना को यथा संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: उपरोक्त अधिसूचना दिनॉक 29.08.2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाये। शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1232(1)/एक-1-2016-5(31)/2012 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
4. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
5- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, तृतीय तल श्री बाला काम्पलेक्स (सुब्रति यूनिवर्सिटी के सामने) वेद व्यासपुरम, बाईपास रोड, एन.एच.-58, मेरठ-250002
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in